

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
अलीगढ़।

द्वितीय आवंटन

अनुदान सं०-83

लेखाशीर्षक-4515007890600-24

संख्या-1/शा०/44/2022-1/124/2023 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2023


विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं०-83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू० 08.73 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं०-/2023/003-100 14 2018 दिनांक 04.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)-24- वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू०-500.00 लाख के सापेक्ष 490.02 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 9.98 लाख में से रू० 08.73 लाख (रू० आठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आवंटन हेतु अवमुक्त की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू०-08.73 लाख निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है-

- 01-आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- 02-उपरोक्त धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के अन्य व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 03-आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 04-आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
- 05-आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 06-आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

  
9/1/23


- 07-धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 08-आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, आवंटित धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना-प्रभारी का होगा।
- 09-योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 10-निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- 11-योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।
- 12-उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-बहुददेशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 13-शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-4/2018/ आर0पी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- 14-प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आंगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 15-शासनादेश सं0-4021/33-3-2019-182/2013 दिनांक 16.01.2020(छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर क के बिन्दु 3, 4, 5 एवं 6 में पंचायत भवन निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग और मनरेगा कन्जर्वेशन की धनराशि से अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, उन ग्राम पंचायतों का चयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
- 16 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूप्ये 8.73 लाख (आठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083 लेखा शीर्षक 4515007890600 बहुददेशीय पंचायत भवनो का निर्माण (जिला योजना) मानक मद 24 वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 17(i) वर्ष 2022-23 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
 9/11/23

(ii) उक्त आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप सं0-13/2022/बी-1-454 /दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0-140 पर अंकित है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(राज कुमार)  
निदेशक,  
पंचायती राज उ0प्र0।

सं0-1/शा0/44/1/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज-211001
- 2-अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3-उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 4-उपसचिव (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 5-सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8-सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
- 9-सम्बन्धित उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, बहुददेशीय पंचायत भवन योजना, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 10-एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
(कृष्ण कुमार)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज उ0प्र0।

